न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	03/2019	14.01.2019	35/25 (2025/38)	16.01.2025	05.12.2025	1 लगायत 3
2	48/2023	12.09.2023				

1. बृजलाल पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
2. प्यारेलाल पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।

–अपीलान्ट

बनाम

1.. भजन पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
2. मदन पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
3. रूकमकेश पुत्र कॅवरिया जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
4. रामप्यारी बेबा कॅवरिया जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
5. गिर्राज पुत्र श्रीचन्द्र जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
6. रामप्रसाद पुत्र श्रीचन्द्र जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
7. मेवल्या पुत्र भोरया जाति मीना निवासी दूजई तहसील बामनवास।
8. स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक बामनवास।
9. सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास।

–रेस्पोडेन्डगण

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री इस्लाम खॉन

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 7 की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री योगेश कुमार शर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

1. यह अपील सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बामनवास द्वारा मिसल नं0 149/83 दिनांक 09.11.1983 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

2. रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 7 जरिये अधिकवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नही। रेस्पोडेन्ट सं0 9 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर उभय पक्ष की की बहस सुनी गई।

3. अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलार्थीगण के पिता रामनारायण पुत्र भोरया निवासी दूजई को साविक ख0नं0 33 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में से मिसल नं0 177/88 दिनांक 04.05.67 को 2 बीघा भूमि आवंटित हुयी थी। जिसका गैरखातेदारी इन्द्राज नामान्तकरण सं0 3 दिनांक 17.03.69 को अपीलार्थी के पिता के हक में दर्ज कर उन्हें कब्जा संभला दिया तथा साबिक ट्रेस में नामान्तकरण पर ही 33 का बटा नं0 2 रकबा 2 बीघा कायम कर अपीलार्थीगण के पिता को कब्जा संभला दिया तभी से अपीलार्थीगण के पिता व उनके मरने के बाद अपीलार्थीगण उक्त भूमि को काश्त करते चले आ [illegible] वर्तमान सेटलमेन्ट ने अपीलार्थीगण के पिता को आवंटित हुयी भूमि के नये नम्बर 61/[illegible] है0 कायम किये है। लेकिन सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी बामनवास ने बिना अपीलार्थीगण [illegible] जानकारी के मिसल नं0 149/83

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 35/25 बृजलाल व अन्य बनाम भजन व अन्य

दिनांक 09.11.1983 से अपीलार्थीगण की खातेदारी में से हिस्सा 14/150 हजफ कर उसे रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रिवियश रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था, उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से 0.14 है0 रकबा हजफ कर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल की है।अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये निर्णय पारित किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खतौनी आधार वर्ष तैयार की थी, उसमें ख0नं0 61/681 को अपीलार्थीगण की खातेदारी में सही रूप से अंकित किया गया था लेकिन बाद में ए0एस0ओ0 के उक्त निर्णय की इन्द्राज अंकित कर पृथक से फर्दबदर तैयार कर खतौनी आधार वर्ष में नोट अंकित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 14 ऐयर भूमि को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया, जिसका सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को कोई अधिकार नहीं था, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बामनवास द्वारा मिसल सं0 149/83 दिनांक 21.08.1984 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 7 से दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के बुर्जगान द्वारा अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मुताबिक मौके के रिकोर्ड बेदोबस्त में दुरूस्ती फरमाई जावे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा भू–मापक से मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू–मापक द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरीय नक्शा अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट मय नजरीय नक्शा के आधार पर रेस्पोडेन्ट के बुजुर्गान को उक्त भूमि आवंटन हुई। अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास में दो बार दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया है। जिसमें से एक दावा स्वयं अपीलान्ट ने वापस ले लिया है। तहसील बामनवास में बंदोवस्त कार्य सन् 1975 –76 में गजट नोटिफिकेशन शुरू हुआ और सन् 1984–85 में वाई गजट नोटिफिकेशन क्लोज हुआ। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.1984 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, साथ ही अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील अस्वीकार कर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बामनवास द्वारा मिसल सं0 149/83 दिनांक 21.08.1984 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

5. हमने पत्रावली एवं अदालत मातहत की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

6. भू–प्रबंध कार्यवाही का सरलीकररण के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा नीतिगत सम्बन्धी आदेश दिये है, जो निम्न है।
(1) पर्चा खतौनी में नये व पुराने दोनों खसरा नम्बरान मय क्षेत्रफल अंकित किये जायेंगे।
(2) क्षेत्रफल में कोई कमीबेसी (परिवर्तन)नहीं किया जावेगा। आवंटन में कोई क्षेत्रफल का अन्तर आता है तब इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय भू–प्रबन्ध अधिकारी के स्तर पर लिया जायेगा।
(3) भू प्रबन्ध विभाग के नामान्तकरण खोलने, तस्दीक करने [illegible] देने का अधिकार राजकीय परिपत्र के अनुसार समाप्त कर दिये गये है।
(4) खातेदारी राजकीय भूमि पर कब्जे या बदर [illegible] के आधार पर नही [illegible] जावेगी।
(5) मिसल बंदोबस्त (मिसल–हकीकत) मिसल हकीकत [illegible] अर्थ रिकॉर्ड ऑफ राइट या अधिकार कोड बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली बंदो[illegible] की जमाबन्दी के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh
Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

भू–प्रबन्ध आयुक्त के निर्देशों के अनुसार मुख्य रूप से 7 रजिस्टर ही तैयार किये जावेंगे। (पूर्व की भांति 17 रजिस्टर तैयार नहीं किये जायेंगे)

7. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के पिता रामनारायण की खातेदारी भूमि रंगलाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की गई है। ऐसी स्थिती में **Summary or Settlement Operation** में प्रचलित विधि के तहत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी की कार्यवाही विधि के तहत स्वतः ही प्रारंभतः शून्य **(Ab initio void)** है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 127 और धारा 181 के अर्न्तगत भू–प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद विचाराधीन उज्रदारी निर्णित करने के अधिकार उपखण्ड अधिकारी और कलेक्टर को प्राप्त है।

8. मुख्य शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1)विभाग का परिपत्र सं0 13/22/राज/ग्रुप– 1/93, दिनांक 23.05.1994 के तहत विभाग द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 125 के अर्न्तगत कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की जावेगी।

9. निर्णय के पैरा 6,7, एवं 8 में उल्लेखित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित विधिक प्रावधान, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.1994 व भू प्रबन्ध प्रकिया **(Summary or Settlement Operation)** हेतु निर्धारित विभागीय नीति के विरूद्ध कृत्य किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है।

10. अतएवः परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाकर सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी बामनवास के मिसल नं0 149/83 में पारित आदेश दिनांक 09.11.1983 निरस्त किया जाता है तथा निर्णय की प्रति तदनुसार राजस्व रिकोर्ड मे शुद्धि करने हेतु तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर को प्रेषित की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:38 IST
Reason: SelfAttested